



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042020-219188
CG-DL-E-27042020-219188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1224]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2020/वैशाख 7, 1942
No. 1224]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2020/VAISAKHA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ.1370(अ).—आय पर करों के संबंध में, दोहरे कराधान का परिवर्जन करने और राजकोषीय अपवंचन के निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार के बीच 8 नवंबर, 1999 को वियना में हस्ताक्षरित अभिसमय को संशोधित करते हुए एक प्रोटोकॉल नई दिल्ली में 6 फरवरी, 2017 को हस्ताक्षरित हुआ, जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध में दिया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है);

और उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 1 मई, 2020 है, जो कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के अनुसार उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अधिसूचनाओं के पत्र की प्राप्ति की तारीख ठीक बाद के तीसरे मास का पहला दिन है।

और उक्त संशोधित प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 4 उपबंध करता है कि वही उपबंध, इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त प्रविष्टि के वर्ष के ठीक बाद के कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कराधेय अवधियों के संबंध में प्रभावी होंगे;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि इसके साथ यथा संलग्न उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंधों को भारत संघ में, 1 मई, 2020 से, जो उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख है, प्रभावी किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 22/फा. सं. 505/01/1982-एफटीडी-1 (पीटी.)]

रश्मि रंजन दास, संयुक्त सचिव

उपाबंध

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार

के बीच

आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय, जिस पर 08 नवम्बर, 1999 को वियना में हस्ताक्षर किये गये थे, का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय, जिस पर वियना में 08 नवम्बर, 1999 को हस्ताक्षर किये गये थे और जो 05 सितम्बर, 2001 को लागू हुआ (इसके पश्चात् इसे “अभिसमय” कहा जायेगा), में संशोधन करते हुए एक प्रोटोकॉल (इसके बाद इसे “संशोधनकारी प्रोटोकॉल” कहा जायेगा) को अन्तिम रूप देने के इच्छुक भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की

जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद 26 क सम्मिलित किया जायेगा;

“अनुच्छेद 26 क

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सीमा तक कर के संग्रहण में एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे कि इस अभिसमय के अन्तर्गत प्रदान की गई कर की किसी छूट अथवा कम की गई दर का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, जो ऐसे लाभों हेतु पात्र नहीं हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

3. संविदाकारी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सीमा तक करों के संग्रहण में एक दूसरे को सहायता तथा समर्थन प्रदान करने का आश्वासन देते हैं कि संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये गये कराधान से मौजूदा अभिसमय द्वारा प्रदान की गई छूट इसके लिए पात्र व्यक्तियों के लाभ को सुनिश्चित नहीं करती है, बशर्ते:

- (क) प्रार्थी राज्य को अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि संग्रहण हेतु संदर्भित राशि, जिसके लिए वह दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के लिए निवेदन कर रहा है, अन्ततः देय तथा प्रवर्तनीय हैं;
- (ख) पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किया गया दस्तावेज प्रार्थित राज्य के कानूनों के अनुसार प्रवर्तनीय माना जाएगा। यह वर्णित है कि निवर्तमान आस्ट्रियन विधेयक के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज क्षेत्रीय कर कार्यालयों (फाइनेनजाम्टर) द्वारा प्रवर्तनीय माने जाने चाहिए;
- (ग) प्रार्थित राज्य सदृश कर ऋणों की वसूली संबंधी नियमों के अनुसार अपने आप वसूली करेगा; तथापि, वसूल किए जाने वाले ऋण प्रार्थित राज्य में रियायती ऋण नहीं माने जाएंगे। ऑस्ट्रिया गणराज्य में फाइनेंजप्रोक्यूरेटर अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्रत्यायुक्त वित्त कार्यालय द्वारा कानूनी निष्पादन के लिए अनुरोध किया जाएगा; तथा
- (घ) ऋण की राशि अथवा अस्तित्व संबंधी अपीलें प्रार्थी राज्य के सक्षम न्यायाधिकरण में ही दाखिल की जाएंगी।

पैरा के उपबंध से किसी भी संविदाकारी राज्य पर उसके अपने कर संग्रहण में प्रयुक्त प्रशासनिक तरीकों से अलग तरीके या जो उसकी प्रभुसत्ता, सुरक्षा, लोक नीति अथवा उसके जरूरी हितों से हटकर हों, उन्हें अपनाने की बाध्यता नहीं थोपी जाएगी।”

अनुच्छेद 3

अभिसमय के प्रोटोकोल में निम्नलिखित पैरे जोड़े जाएंगे;

“अनुच्छेद 26 जोड़ें;

1. अनुरोध करने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए अभिसमय के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं लिखित में उपलब्ध कराएंगे:

- क) जांच अथवा पृष्ठताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;
- (ख) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला राज्य उसे अनुरोधित राज्य से प्राप्त करना चाहता है;
- (ग) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;
- (घ) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित राज्य के पास है अथवा अनुरोधित राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;
- (ङ.) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने का अनुमान है; और
- (च) यह विवरण देते हुए कि आवेदक राज्य ने सूचना प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

2. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 26 में दिए गए सूचनाओं के आदान-प्रदान में वे साधन सम्मिलित नहीं होंगे जो “मत्स्य अभियानों” में आते हों।

3. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 26 के पैरा 5 के अनुसार संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वैच्छिक अथवा स्वचल आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना जरूरी नहीं है।

4. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 26 की व्याख्या के लिए-उपर्युक्त सिद्धांतों के साथ-साथ – ओईसीडी में स्थापित सिद्धांतों तथा भारत या ऑस्ट्रिया की स्थिति, टिप्पणियों अथवा प्रतिबन्धों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
5. यह भी ज्ञात है कि अभिसमय के अनुच्छेद-26 से संबंधित दिनांक 08 नवम्बर, 1999 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के उपबंध इस प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद - 26 के संदर्भ में वैसे ही लागू होंगे।
6. यह भी ज्ञात है कि अनुच्छेद-26 के पैरा 1 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी के स्थानीय कानूनों तथा प्रथाओं के तहत, जहां तक संभव हो सके, विशेष प्रार्थित फार्म (मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की प्रस्तुति तथा अभिसाक्षियों की गवाहियों सहित) में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।
7. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद-26 पर ओईसीडी चर्चा के पैरा 9.1 में यथा कथित, अनुच्छेद - 26 की नवीन शैली (2010 रूपान्तर के अनुसार) में विदेश में कर जांच, तत्क्षण कर जांच और उद्योग-व्यापी सूचना का आदान-प्रदान, जो दोनों संविदाकारी राज्यों के स्थानीय कानूनों एवं प्रशासनिक प्रथाओं द्वारा स्वीकृत हों, शामिल हैं।”

अनुच्छेद 4

संविदाकारी राज्य एक दूसरे को राजनयिक माध्यमों के जरिए अधिसूचित करेंगे कि इस नयाचार को लागू करने के लिए सभी कानूनी क्रियाविधियां पूरी कर ली गयी हैं। प्रोटोकॉल ऊपर संदर्भित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि के तुरन्त बाद के तीसरे माह के प्रथम दिन से लागू होगा। प्रोटोकॉल के उपबंध इस प्रोटोकॉल के लागू होने के वर्ष के बाद के वर्ष की एक जनवरी या उसके बाद से प्रारम्भ होने वाली करदेय अवधियों के संबंध में प्रभावी होंगे।

जिसके साक्ष्य में दोनों संविदाकारी राज्यों के विधिवत प्राधिकृत दूतों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में 6 फरवरी, 2017 तारीख को अंग्रेजी, हिन्दी और जर्मन में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार की ओर से

(जार्ज जेहेटनर)

(सुशील चंद्रा)

चार्ज डी' एफेयर्स

अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आस्ट्रिया एम्बेसी, नई दिल्ली

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1370(E).—Whereas, the Protocol, amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, which was signed at Vienna on the 8th November, 1999, has been signed at New Delhi on 6th February, 2017, as set out in the annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said amending Protocol);

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 1st May, 2020 being the first day of the third month next following the date of the receipt of the latter of the notifications of completion of legal procedures for giving effect to the said amending Protocol in accordance with the Article 4 of the said amending Protocol;

And whereas, Article 4 of the said amending Protocol provides that the provisions of the same shall have effect with regard to taxable periods beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year of the entry into force of this Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, as annexed hereto, shall have effect in the Union of India with effect from the 1st May, 2020, being the date on which the said amending Protocol entered into force.

[Notification No.22/F.No. 505/01/1982-FTD-I (Pt.)]

RASMI RANJAN DAS, Jt. Secy.

ANNEXURE

PROTOCOL

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA

AMENDING THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WHICH WAS SIGNED AT VIENNA ON 8 NOVEMBER, 1999

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as “Amending Protocol”) amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which was signed at Vienna on 8th November, 1999 and which entered into force on 5th September, 2001 (hereinafter referred to as “the Convention”);

Have agreed as follows:

Article 1

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

“ARTICLE 26

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities thereof, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 2

The following new Article 26A shall be inserted after the new Article 26 of the Convention:

"ARTICLE 26A

Assistance in the Collection of Taxes

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of tax to the extent needed to ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Convention shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*).

3. The Contracting States undertake to lend each other support and assistance in the collection of taxes to the extent necessary to ensure that relief granted by the present Convention from taxation imposed by Contracting State does not insure to the benefit of persons not entitled thereto, provided that:

- (a) the requesting State must produce a copy of a document certified by its competent authority specifying that the sums referred to for the collection of which it is requesting the intervention of the other State, are finally due and enforceable;
- (b) a document produced in accordance with the provisions of paragraph 3 shall be rendered enforceable in accordance with the laws of the requested State. It is specified that under current Austrian legislation, such documents must be rendered enforceable by the Regional Tax Offices (Finanzamter);
- (c) the requested State shall effect recovery in accordance with the rules governing the recovery of similar tax debts of its own; however, tax debts to be recovered shall not be regarded as privileged debts in the requested State. In the Republic of Austria, judicial execution shall be requested by the Finanzprokurator or by the finance office delegated to act on his behalf; and
- (d) appeals concerning the existence or amount of the debt shall lie only to the competent tribunal of the requesting State.

The provisions of this paragraph shall not impose upon either Contracting State the obligation to carry out administrative measures different from those used in the collection of its own tax, or which would be contrary to its sovereignty, security, public policy or its essential interests."

Article 3

The following paragraphs shall be added to the Protocol of the Convention:

"Ad Article 26;

1. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
 - (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;
 - (c) the tax purpose for which the information is sought;
 - (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;
 - (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
 - (f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
2. It is understood that the exchange of information provided in Article 26 does not include measures which constitute “fishing expeditions”.
3. It is understood that paragraph 5 of Article 26 does not require the Contracting States to exchange information on a spontaneous or automatic basis.
4. It is understood that—in addition to the above mentioned principles—for the interpretation of Article 26 the principles established in the OECD Commentaries shall be considered as well subject to the reservations or observations or positions of India or Austria.
5. It is also understood that the provisions of the Protocol signed on 8 November 1999 concerning Article 26 of the Convention shall likewise apply with reference to Article 26 of the Convention as amended by this Protocol.
6. It is understood that under paragraph 1 of Article 26, information needs to be exchanged in the specific form requested (including depositions of witnesses and production of authenticated copies of original documents) to the extent possible under the jurisdictions’ domestic law and practices.
7. It is understood that as stated in paragraph 9.1 of the OECD Commentary on Article 26, the new wording (as per 2010 version) of Article 26 covers Tax Examination Abroad, Simultaneous Tax Examinations and Industry-Wide Exchange of Information to the extent allowed by the domestic law and administrative practice of both Contracting States.”

Article 4

The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal procedures for the entry into force of this Protocol have been completed. The Protocol shall enter into force on the first day of the third month next following the date of the receipt of the latter of the notifications referred to above. The provisions of this Protocol shall have effect with regard to taxable periods beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year of the entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi on this 6th day of February, 2017 in the English, Hindi and German languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India

(Sushil Chandra)
Chairman,
Central Board of Direct Taxes

For the Government of the
Republic of Austria

(Georg Zehetner)
Chargé d’Affaires a.i.
Austrian Embassy, New Delhi